

परिशिष्ट-1
शतक्रांति-865

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ मवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017

भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति,


आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने / उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनांक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न-परिशिष्ट एक


13/2/18

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


पृ. क्रमांक एफ 44-30/20-2/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13-2-2018

- 1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।



आर.के.त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


13/2/18

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड


अनिवार्यता


1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/— किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।


आर.के. त्रिवेदी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


13/8/18
उप सचिव,
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

हाईस्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नत शालाओं की सूची (सत्र 2018-19)				
स.कं	जिला	डाईस कोड	विकासखण्ड	हाईस्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नत शालाएँ
1		2	3	4
1	शिवपुरी	23060155601	शिवपुरी	शा० हाईस्कूल कन्या सदरबाजार
2		23060307520	बदरवास	शा० हाईस्कूल खातौरा
3		23060511710	खनियाधाना	शा० हाईस्कूल गुडार
4			खनियाधाना	शा० हाईस्कूल मायापुर
5		23060600131	पोहरी	शा० हाईस्कूल कन्या पोहरी
6		23060704507	करैरा	शा० हाईस्कूल मछावली

7. शिवपुरी 23060301406 बदरवास

शा. हाईस्कूल कुटवारा

Handwritten signature

Handwritten signature
 आर.के.त्रिवेदी
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग